"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 224] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 सितम्बर 2002—भाद्र 21, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-80/2002/वाक/पांच (99).—(1) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17; और

(2) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-27-89-विक-पांच (15), दिनांक 19-2-1991 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना में अनुसूची में कालम (4) में

1. वर्तमान पाठ (1) क्रमांकित किया जायेगा.

2. (1) के बाद निम्न जोड़ा जायेगा :—

(2) जिसने सीमेंट निर्माण की औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाला व्यवसायी इस अधिसूचना के अंतर्गत करमुक्ति की सुविधा के साथ, अपने आंशिक उत्पादन के लिए, इस प्रयोजन के लिए बनाई गई योजना के अंतर्गत कर के आस्थगित भुगतान की सुविधा का विकल्प दे सकेगा.

(3) एक व्यवसायी, जिसने सीमेंट निर्माण की औद्योगिक इकाई स्थापित की है और अंशत: करमुक्ति की सुविधा और अंशत: कर के आस्थगित भुगतान की सुविधा का विकल्प दिया है, नियमित लेखा रखेगा और पृथक बिल/नगदी बीजक करमुक्ति योजना और कर के आस्थगित भुगतान की योजना के व्यवहारों के लिए जारी करेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-10-80/2002/वाक/पांच (99).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-80/2002/वाक/पांच (99), दिनांक 12-9-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 12th September 2002

NOTIFICATION

No. F-10-80/2002/CT/V (99).—In exercise of the powers conferred by :—

(1) Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995); and

(2) Sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).

The State Government hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. A-3-27-89-ST-V (15), dated the 19th February 1991, namely :—

AMENDMENTS

In the said notification in the Schedule in column (4)

1. Present text shall be numbered as (1).

2. After (1) following shall be added :—

(2) A dealer establishing an industrial unit for manufacture of cement may opt to avail alongwith the facility of exemption from payment of tax under this notification, the facility of deferment of payment of tax in respect of a part of his production in accordance with the scheme framed for this purpose.

(3) A dealer who has established an industrial unit for the manufacture of cement and has opted for the facility of exemption from payment of tax and partly for the facility of deferment of payment of tax shall maintain proper accounts and issue separate bills/cash memoranda in respect of the sale transactions covered by the tax exemption scheme and the deferment of payment of tax scheme.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-81/2002/वाक/पांच (100).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-10-2001-वाक-पांच (4) दिनांक 30-3-2001 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

अधिसूचना में मालों की सूची में 9 के बाद निम्न जोड़ा जायेगा :—

10. एन्टीरेट्रोवाइरल ड्रग्स

(एक) एबेकेविर
(दो) एम्प्रेनेविर
(तीन) डेलाविर्डाइन
(चार) डिडानोसाइन
(पांच) इफाविर्नेज
(छह) इन्डिवेविर
(सात) लेमिव्नडाइन
(आठ) नेल्फिनेविर
(नौ) नेविरेपाइन
(दस) रिटोनेविर
(ग्यारह) सेक्विनेविर
(बारह) स्टेवुडाइन
(तेरह) जेल्कीटेवाइन
(चौदह) जिडोवुडाइन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-10-81/2002/वाक/पांच (100).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-81/2002/वाक/पांच (100), दिनांक 12-9-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 12th September 2002

NOTIFICATION

No. F-10-81/2002/CT/V (100).—In exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby amends this departmental Notification No. F-10-10-2001-CT-V (4), dt. 30-3-2001, as given below :—

AMENDMENT

In the list of goods in the Notification after 9 following shall be added :—

10. Antiretroviral Drugs

(i) Abacavir
(ii) Amprenavir
(iii) Delavirdine
(iv) Didanosine
(v) Efavirnez
(vi) Indivavir
(vii) Lamivndine
(viii) Nelfinavir
(ix) Nevirapine
(x) Ritonavir
(xi) Saquinavir
(xii) Stavudine
(xiii) Zalcitabine
(xiv) Zidovudine

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-82/2002/वाक/पांच (101).—(1) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17; और

(2) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचनाओं में कथित अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	अधिसूचना (2)	संशोधन (3)
1.	ए-3-27-89-विक-पांच (15), दिनांक 19-2-1991.	कथित अधिसूचना की अनुसूची के कालम (1) के खण्ड (एक) और खण्ड (तीन) में अंक और शब्द "31वीं दिसम्बर, 1999", जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर अंक और शब्द "10वीं जून, 2000" प्रतिस्थापित किये जायेंगे.
2.	ए-3-30-91-विक-पांच (7), दिनांक 15-1-1992.	कथित अधिसूचना की भूमिका में खण्ड (एक) और खण्ड (पांच) में अंक और शब्द "31वीं दिसम्बर, 1999" जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर अंक और शब्द "10वीं जून, 2000" प्रतिस्थापित किये जायेंगे.
3.	ए-3-1-92-विक-पांच (50), दिनांक 3-6-1993.	कथित अधिसूचना की भूमिका में खण्ड (ख) और खण्ड (ङ) में अंक और शब्द "31वीं दिसम्बर, 1999" जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर अंक और शब्द "10वीं जून, 2000" प्रतिस्थापित किये जायेंगे.
4.	ए-3-24-94-विक-पांच (108), दिनांक 6-10-1994.	कथित अधिसूचना की भूमिका में खण्ड (ख) के उप-खण्ड (दो) और उप-खण्ड (चार) में अंक और शब्द "31वीं दिसम्बर, 1999" जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर अंक और शब्द "10वीं जून, 2000" प्रतिस्थापित किये जायेंगे.
5.	ए-3-1-95-विक-पांच (43), दिनांक 6-6-1995.	कथित अधिसूचना की भूमिका में खण्ड (ख) के उप-खण्ड (दो) और उप-खण्ड (तीन) में अंक और शब्द "31वीं दिसम्बर, 1999", जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर अंक और शब्द "10वीं जून, 2000" प्रतिस्थापित किये जायेंगे.
6.	ए-3-12-95-विक-पांच (96), दिनांक 7-11-1997.	कथित अधिसूचना की भूमिका में खण्ड (ख) के उप-खण्ड (दो) और उप-खण्ड (चार) में अंक और शब्द "31वीं दिसम्बर, 1999", जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर अंक और शब्द "10वीं जून, 2000" प्रतिस्थापित किये जायेंगे.
7.	ए-3-32-94-विक-पांच (69), दिनांक 14-9-1998.	कथित अधिसूचना की भूमिका में खण्ड (तीन) में अंक और शब्द "31वीं दिसम्बर, 1999", जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर अंक और शब्द "10वीं जून, 2000" प्रतिस्थापित किया जायेंगे.
8.	ए-3-1-95-विक-पांच (44), दिनांक 6-6-1995.	कथित अधिसूचना के नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) में अंक और शब्द "31वीं दिसम्बर, 1999", जहां कहीं भी आते हैं, के स्थान पर अंक और शब्द "10वीं जून, 2000" प्रतिस्थापित किये जायेंगे.
9.	ए-3-12-95-विक-पांच (97), दिनांक 7-11-1997.	कथित अधिसूचना के नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) में अंक और शब्द "31वीं दिसम्बर, 1999", जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर अंक और शब्द "10वीं जून, 2000" प्रतिस्थापित किये जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-10-82/2002/वाक/पांच (101).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-82/2002/वाक/पांच (101), दिनांक 12-9-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 12th September 2002

NOTIFICATION

No. F-10-82/2002/CT/V (101).—In exercise of the powers conferred by—

(1) Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995); and

(2) Sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956). The State Government hereby makes following amendments in this department's Notifications specified in column (2) of the Schedule given below to the extent specified in column (3) of the said Schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Notification (2)	Amendments (3)
1.	A-3-27-89-ST-V (15), Dated 19-2-1991.	In column (1) of the Schedule to the said Notification in clause (i) and in clause (iii) for words and figures "31st December, 1999", wherever they occur, words and figures "10th June, 2000" shall be substituted.
2.	A-3-30-91-ST-V (7), Dated 15-1-1992.	In the preamble to the said Notification in clause (i) and clause (v) for words and figures "31st December, 1999", wherever they occur, words and figures "10th June, 2000" shall be substituted.
3.	A-3-1-92-ST-V (50), Dated 3-6-1993.	In the preamble to the said Notification in clause (b) and clause (e) for words and figures "31st December, 1999", wherever they occur, words and figures "10th June, 2000" shall be substituted.
4.	A-3-24-94-ST-V (108), Dated 6-10-1994.	In the preamble to the said Notification in clause (b) in sub-clause (ii) and sub-clause (iv) for words and figures "31st December, 1999", wherever they occur, words and figures "10th June, 2000" shall be substituted.
5.	A-3-1-95-ST-V (43), Dated 6-6-1995.	In the preamble to the said Notification in clause (b) in sub-clause (ii) and sub-clause (iii) for words and figures "31st December, 1999", wherever they occur, words and figures "10th June, 2000" shall be substituted.

(1)	(2)	(3)
6.	A-3-12-95-ST-V (96), Dated 7-11-1997.	In the preamble to the said Notification in clause (b) in sub-clause (ii) and sub-clause (iv) for words and figures "31st December, 1999", wherever they occur, words and figures "10th June, 2000" shall be substituted.
7.	A-3-32-94-ST-V (69), Dated 14-9-1998.	In the preamble to the said Notification in clause (iii) for words and figures "31st December, 1999", wherever they occur, words and figures "10th June, 2000" shall be substituted.
8.	A-3-1-95-ST- V (44), Dated 6-6-1995.	In the said Notification in rule 3 in sub-rule (1) in clause (a) for words and figures "31st December, 1999", wherever they occur, words and figures "10th June, 2000" shall be substituted.
9.	A-3-12-95-ST-V (97), Dated 7-11-1997.	In the said Notification in rule 3 in sub-rule (1) in clause (a) for words and figures "31st December, 1999", wherever they occur, words and figures "10th June, 2000" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-83/2002/वाक/पांच (102).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31-3-2003 तक की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ.क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)
1.	उद्जनित वनस्पति तेल जो भारत में उत्पादित न हो	अंशतः इस प्रकार जिससे प्रवेशकर की दर घटकर 0.5 प्रतिशत हो जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-10-83/2002/वाक/पांच (102).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-83/2002/वाक/पांच (102), दिनांक 12-9-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 12th September 2002

NOTIFICATION

No. F-10-83/2002/CT/V (102).—In exercise of powers conferred by Section 10 of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule given below from the payment of tax under the said Adhiniyam from the date of publication in Gazette to 31st March 2003, to the extent specified in column (3) of the Schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)
1.	Hydrogenated vegetable oil not manufactured in India.	Partly so as to reduce the rate of entry tax to 0.5%.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.